Act No. 4 of 2015

2014 का विधेयक संख्यांक 9

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2014

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2014

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 34 का प्रतिस्थापन।
3. 2014 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 6 का निरसन और व्यावृत्तियाँ।

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2014

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह 14 अक्तूबर, 2014 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 34 का प्रतिस्थापन।

2. हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 की धारा 34 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

> **"34. स्टांपों द्वारा या ई-फाइलिंग प्रणाली द्वारा फीस का संग्रहण.**-धारा 3 में निर्दिष्ट या इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य समस्त फीस, स्टांपों द्वारा या ई-फाइलिंग प्रणाली के माध्यम से, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, संगृहीत की जाएगी।"।

2014 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 6 का निरसन और व्यावृत्तियाँ।

3. (1) हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अध्यादेश, 2014 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है ।

अध्यक्ष ।

शिमला–171004
दिनांकः 9–01–2015

मैं इस विधेयक पर अनुमति देता हूँ

राज्यपाल।
हिमाचल प्रदेश

शिमला–171002
दिनांकः 20–01–2015

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 9 OF 2014

THE HIMACHAL PRADESH COURT FEES (AMENDMENT) BILL, 2014

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH COURT FEES (AMENDMENT) BILL, 2014

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Substitution of section 34.
3. Repeal of H.P. Ordinance No. 6 of 2014 and savings.

Bill No. 9 of 2014

THE HIMACHAL PRADESH COURT FEES (AMENDMENT) BILL, 2014

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968 (Act No. 8 of 1968).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Court Fees (Amendment) Act, 2014. Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on 14th day of October, 2014.

2. For section 34 of the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968, the following section shall be substituted, namely:- Substitution of section 34.

> "34. Collection of fees by stamps or by e-filing system.—All fees referred to in section 3 or chargeable under this Act shall be collected by stamps or by way of e-filing system in the manner as may be prescribed.".

3. (1) The Himachal Pradesh Court Fees (Amendment) Ordinance, 2014 is hereby repealed. Repeal of H.P. Ordinance No. 6 of 2014 and savings.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

मैं, हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 9) के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।

राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 9) के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

प्रधान सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।